पुलिस कार्रवाई पर यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी कोर्ट ने

प्रयागराज, 27 जनवरी (भाषा)।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार से नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कथित पुलिस कार्रवाई के मामले में 17 फरवरी को अगली सुनवाई तक रिपोर्ट जमा करने को कहा।

मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा के पीठ ने आंदोलन के दौरान कथित पुलिस ज्यादती के खिलाफ दाखिल अनेक जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया। अदालत ने कहा है कि रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया जाए कि पुलिस के खिलाफ इन प्रदर्शनों के दौरान कितनी शिकायतें दर्ज की गईं और कितने लोग मारे गए व कितने घायल हुए।

आगे की सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तारीख तय करते हुए अदालत ने यह भी पूछा कि इस संबंध में मीडिया में आई खबरों की सत्यता की पड़ताल की गई है या नहीं।

भारत के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं : नायडू

नई दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा)।

भारत के नए नागरिकता कानून के खिलाफ यूरोपीय संसद में प्रस्तावित चर्चा और मतदान की पृष्ठभूमि में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

एक पुस्तक विमोचन समारोह में उपस्थित श्रोताओं को संबोधित कर रहे नायडू ने कहा कि वह ऐसे मामलों में विदेशी निकायों के हस्तक्षेप की प्रवृति से चिंतित हैं जो पूरी तरह भारतीय संसद और सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयास पूरी तरह अवांछनीय हैं और उम्मीद है कि भविष्य में इस तरह के बयानों से बचा जाएगा। नायडू ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

यूरोपीय संसद भारत के नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चर्चा और मतदान करने वाली है जहां अधिकतर सदस्य इसके खिलाफ हैं। यूरोपीय संघ में अलग अलग समूहों ने इस तरह के कुल छह प्रस्ताव रखे गए हैं।

ताजमहल को सहेजने की जिम्मेदारी सबकी : बोलसोनारो

आगरा, 27 जनवरी (भाषा)।

दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर मोहब्बत की निशानी ताजमहल को ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो सोमवार को काफी देर तक निहारते रहे। उन्होंने डायना बैंच पर बैठकर फोटो भी खिंचाए और आगंतुक पुस्तिका में लिखा कि ताजमहल एक नायाब धरोहर है।

बोलसोनारो ने कहा कि यह पूरी दुनिया के लिए एक खूबसूरत तोहफा है और इसको सहेजने की जिम्मेदारी सभी की है। भारत के दौरे पर आए ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो सोमवार को आगरा पहुंचे। विशेष विमान से आगरा खेरिया हवाई अड्डे पर पहुंचे बोलसोनारो का स्वागत उत्तरप्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने किया। राष्ट्रपति बोलसोनारो के साथ उनकी दो बेटियों ने भी ताजमहल का दीदार किया।

आंध्र प्रदेश : विधान परिषद समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव पारित

अमरावती, 27 जनवरी (भाषा)।

आंध्र प्रदेश विधानसभा ने सोमवार को राज्य विधान परिषद को समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव पारित कर दिया। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब चंद दिन पहले वाईएसआर कांग्रेस सरकार राज्य की तीन राजधानी बनाने की अपनी योजना में उच्च सदन में विपक्षी तेदेपा का बहुमत होने के चलते विफल हो गई थी।

राज्य की 175 सदस्यीय विधानभा में शाम छह बजे हुए मत विभाजन के दौरान उपस्थित सभी 133 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और संविधान के अनुच्छेद 169 (1) के तहत इसे आम सहमति से स्वीकार कर लिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ताम्मिनेई सीताराम ने घोषणा की कि राज्यों में विधान परिषदों के गठन या निरस्तीकरण से संबंधित अनुच्छेद 169 (1) के तहत प्रस्ताव को बहुमत से स्वीकार कर लिया गया। तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) ने विधान परिषद को समाप्त करने के राज्य सरकार के फैसले का विरोध करते हुए कार्यवाही का बहिष्कार किया।

फिल्म 'छपाक' में वकील को श्रेय मिला

नई दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा)।

दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म 'छपाक' के निर्माताओं ने दिल्ली हाई कोर्ट को सोमवार को बताया कि तेजाब हमले की पीड़िता के वकील को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज की गई फिल्म में क्रेडिट (श्रेय) दिया गया। यह फिल्म तेजाब हमले की पीड़िता लक्ष्मी अग्रवाल पर बनी है। अंतरराष्ट्रीय रिलीजों में वकील को श्रेय नहीं दिया गया है क्योंकि फिल्मकारों ने सोचा कि ऐसा सिर्फ यहां करना है।

फिल्म की निर्देशक मेघना गुलजार और निर्माता फॉक्स स्टार स्टूडियोज की तरफ से न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी के समाने दलीलें दी गईं। अदालत ने 10 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म में अग्रवाल की वकील अपर्णा भट को क्रेडिट देने का निर्देश दिया था जिसका उल्लंघन करने पर फिल्म के निर्माता-निर्देशक के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की गई। गुलजार और फॉक्स स्टार की तरफ से पेश हुए वकीलों ने अदालत को बताया कि वे संभव समाधान पर निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार हैं जिसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 29 जनवरी तय की।अदालत ने कहा कि अगर फिल्मकार भट द्वारा साझा की गई जानकारियों के आधार पर उन्हें श्रेय देने के उसके 11 जनवरी के आदेश को सही से नहीं समझते तो मामले को देखा जाएगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें इसमें सुधार करना होगा।

आत्मदाह की कोशिश करने वाले माकपा कार्यकर्ता की मौत

इंदौर (मध्य प्रदेश), 27 जनवरी (भाषा)।

एक सनसनीखेज घटनाक्रम के दौरान यहां तीन दिन पहले आम चौराहे पर कथित तौर पर खुद को आग लगाने वाले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के 72 वर्षीय कार्यकर्ता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है।

अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस को मौके पर पड़ी उसकी थैली से सीएए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में छपे पर्चे मिले थे। तुकोगंज पुलिस थाने के प्रभारी निर्मल कुमार श्रीवास ने सोमवार को बताया कि रमेशचंद्र प्रजापत (72) ने शुक्रवार की रात गीता भवन चौराहे पर कथित तौर पर खुद पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगा ली थी। उन्होंने बताया कि आत्मदाह के प्रयास में बुरी तरह झुलसे प्रजापत को शासकीय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उनकी रविवार शाम मौत हो गई।

श्रीवास ने बताया, 'प्रजापत करीब 100 फीसद जल गए थे और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी हालत बेहद गंभीर होने के चलते उनकी मृत्यु से पूर्व उनके बयान दर्ज नहीं किए जा सके। हालांकि, हम जांच के जरिए पता लगा रहे हैं कि उन्होंने खुद को आग क्यों लगाई?' प्रजापत की थैली से मिले पर्चों के बारे में पूछे जाने पर थाना प्रभारी ने कहा, 'फिलहाल केवल इन पर्चों के बूते प्रजापत के आत्मदाह की वजह के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा।'

फार्म नं. आईएनसी-26

(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार)

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

सुवर्णा मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U74899HR1994PTC041272)

जिसका पंजीकृत कार्यालय 15/438, खटीयों वाली गली, नवज्योति हाई स्कूल के पास, जतवारा, बहादुरगढ़-124507, हरियाणा में है, के मामले में

....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता

कृते सुवर्णा मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड

विकास गावरी (निदेशक)

तिथि : 27 जनवरी 2020

स्थान : बहादुरगढ़

डीआईएन: 00918529

प्रपत्र सं. आईएनसी-25ए

पब्लिक कम्पनी को प्राइवेट कम्पनी में परिवर्तित करने के संबंध में समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, कॉरपोरेट मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

मैसर्स रेवा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर 28, सेक्टर-25, फरीदाबाद - 121004 में स्थित है, के विषय में, आवेदक

कृते एवं हिते आवेदक रेवा इंडस्ट्रीज लिमिटेड

हस्ता./-

बाल राज गोयल (प्रबंध निदेशक)

तिथि : 27.01.2020

स्थान : फरीदाबाद

डीआईएन : 00288773

प्रपत्र आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तित करने के लिए समाचार-पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन

केन्द्र सरकार/क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के उपपद (अ) के मामले में

तथा

प्रिनिश एन्टरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय फ्लैट सं. 8, डी-16, चौथी मंजिल, छतरपुर एन्कलेव, फेज-I, नई दिल्ली-110074, भारत पर है

.... याचिकाकर्ता

एतद्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली राज्य" से "हरियाणा राज्य" में परिवर्तित करने के लिए 31 दिसम्बर, 2019 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के सन्दर्भ में कम्पनी की संस्था नियमावली के परिवर्तन का सुनिश्चितीकरण चाहने के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कोई भी व्यक्ति जो कम्पनी के पंजीकृत पते के परिवर्तन से प्रभावित होना सम्भावित है वह या तो एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर या इसे भेजे जाने का कारण दर्ज करा सकता है या विरोध की पृष्ठभूमि तथा अपने हित की प्रकृति बताते हुए एक शपथपत्र द्वारा अपनी आपत्तियों को समर्थित करके पंजीकृत डाक द्वारा इस प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2, विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 पर तथा इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के उपर्युक्त पंजीकृत पते पर भेज सकता है।

आवेदक के लिए तथा उसकी ओर से
प्रिनिश एन्टरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड
अजय अग्रवाल
निदेशक

तिथि : 27.01.2020
स्थान : नई दिल्ली
डीआईएन : 03316744

प्रपत्र आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तित करने के लिए समाचार-पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन

केन्द्र सरकार/क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के उपपद (अ) के मामले में

तथा

स्टार्टवेल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय फ्लैट सं. 8, डी-16, चौथी मंजिल, छतरपुर एन्कलेव, फेज-I, नई दिल्ली-110074, भारत पर है

.... याचिकाकर्ता

एतद्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली राज्य" से "हरियाणा राज्य" में परिवर्तित करने के लिए 31 दिसम्बर, 2019 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के सन्दर्भ में कम्पनी की संस्था नियमावली के परिवर्तन का सुनिश्चितीकरण चाहने के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कोई भी व्यक्ति जो कम्पनी के पंजीकृत पते के परिवर्तन से प्रभावित होना सम्भावित है वह या तो एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर या इसे भेजे जाने का कारण दर्ज करा सकता है या विरोध की पृष्ठभूमि तथा अपने हित की प्रकृति बताते हुए एक शपथपत्र द्वारा अपनी आपत्तियों को समर्थित करके पंजीकृत डाक द्वारा इस प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2, विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 पर तथा इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के उपर्युक्त पंजीकृत पते पर भेज सकता है।

आवेदक के लिए तथा उसकी ओर से
स्टार्टवेल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
अजय अग्रवाल
निदेशक

तिथि : 27.01.2020
स्थान : नई दिल्ली
डीआईएन : 03316744

SPARK MINDA

मिंडा कोर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : ए-15, अशोक विहार, फेस-1, दिल्ली - 110052
सीआईएन : L74899DL1985PLC020401
वेबसाइट : www.sparkminda.com, ई-मेल : investor@mindacorporation.com
फोन : +91-124-4698400, फैक्स : +91-124-4698450

सूचना

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) अधिनियम, 2015 के अधिनियम 29 के साथ पठित अधिनियम 47 के प्रावधानों के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक गुरूवार, 06 फरवरी, 2020, को आयोजित होने वाली है जिसमें 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के एकल एवं समेकित अन-अंकेक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार तथा स्वीकृति हेतु आयोजित की जाएगी और अंतरिम लाभांश पर विचार करने हेतु यदि कोई हो।

इसके अलावा, सेबी के प्रावधानों (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 के प्रावधानों के तहत कंपनी के इक्विटी शेयर में सौदा करने हेतु ट्रेडिंग विंडो सभी नामित व्यक्तियों के लिए बुधवार, 01 जनवरी, 2020 से गुरूवार 06 फरवरी, 2020 को परिणाम सार्वजनिक होने पर 48 घंटे के बाद तक बंद रहेगी।

उपरोक्त जानकारी कंपनी की वेबसाइट http://www.sparkminda.com के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट http://www.bseindia.com एवं http://www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते मिंडा कोर्पोरेशन लिमिटेड
हस्ता/-
अजय संचेति
कम्पनी सचिव

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 28.01.2020

एनटीपीसी लिमिटेड
NTPC
(भारत सरकार का उद्यम)

सीआईएन L40101DL1975GOI007966

पंजीकृत कार्यालयः एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003, फोनः 011-24360071, फैक्सः 011-24360241, ई-मेलः csntpc@ntpc.co.in, वेबसाइटः www.ntpc.co.in

बोर्ड की बैठक तथा रिकॉर्ड तिथि के निर्धारण की सूचना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर विनियम, 2015) के विनियम 29 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों को, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा इन परिणामों की समीक्षा के बाद, कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा नई दिल्ली में **शुक्रवार, 7 फरवरी, 2020** को आयोजित होने वाली बैठक में अनुमोदित कर रिकार्ड में लिया जाएगा। निदेशक मंडल की इस बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, वर्ष 2019-20 के लिए कम्पनी की इक्विटी शेयर पूंजी पर अंतरिम लाभांश पर भी विचार किया जा सकता है।

पुनः सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने उक्त अंतरिम लाभांश, यदि बोर्ड द्वारा घोषित किया जाता है, के भुगतान हेतु शेयरधारकों की योग्यता सुनिश्चित करने के लिए **सोमवार, 17 फरवरी, 2020** को **"रिकार्ड तिथि"** के रूप में निर्धारित किया है।

अंतरिम लाभांश, यदि घोषित किया जाता है, केवल उन योग्य सदस्यों या उनके अधिदेश को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम निम्नानुसार शामिल होंगेः

(क) इलेक्ट्रॉनिक/डिमेट प्रारूप में धारित शेयरों के संबंध में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई लाभार्थी स्वामियों की सूची के अनुसार **सोमवार, 17 फरवरी, 2020** को व्यवसाय घंटों की समाप्ति पर लाभार्थी स्वामी के रूप में।

(ख) **सोमवार, 17 फरवरी, 2020** को या उससे पूर्व दर्ज भौतिक प्रारूप में सभी लेन-देन को प्रभावी बनाने के बाद कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में।

उक्त सूचना तथा अन्य कोई विस्तृत जानकारी कम्पनी की वेबसाइट **https://www.ntpc.co.in/** पर देखी जा सकती है और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट **https://www.bseindia.com/** और **https://www.nseindia.com** पर भी देखी जा सकती है।

इसके अलावा, कम्पनी की प्रतिभूतियों की आंतरिक ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए संहिता के संदर्भ में कम्पनी की प्रतिभूतियों के लेनदेन के लिए ट्रेडिंग विन्डो 1 जनवरी, 2020 से उपरोक्त परिणामों की घोषणा के प्रयोजन हेतु 9 फरवरी, 2020 तक बंद रहेगी।

डिमेटिरीलाइज्ड शेयरों के मामले में अंतरण हेतु अनुरोध, पते में परिवर्तन के लिए पत्राचार, बैंक विवरण और ईएसीएस विवरण शेयरधारकों के संबंधित डिपॉजिटरी भागीदारों को भेजे जाने चाहिए। भौतिक प्रारूप में धारित शेयरों के संबंध में उपरोक्त विवरण निम्नलिखित पते पर कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास भेजे जाने चाहिए :

अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड, यूनिटः एनटीपीसी लिमिटेड
अलंकित हाउस, 4ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

कम्पनी के इक्विटी शेयर इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वह अपना ई-मेल पता अपने डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) के पास पंजीकृत करा लें जिससे हम भविष्य में उन्हें इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से दस्तावेज भेज सकें। जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत करा लिया है, उनसे अनुरोध है कि वह इसे अपने डीपी के साथ वैध रखें।

भौतिक प्रारूप में इक्विटी शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वह अपना ई-मेल पता अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास पंजीकृत करा लें जिससे हम भविष्य में उन्हें इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से दस्तावेज भेज सकें।

कृते एनटीपीसी लिमिटेड
हस्ता/-
(नंदिनी सरकार)
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27.01.2020

विद्युत क्षेत्र में अग्रणी

वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड

पंजीकृत ऑफिस: 610-611, गुरु राम दास नगर, मेन मार्केट, एसबीआई बैंक के सामने, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली - 110092. कॉर्पोरेट ऑफिस: प्लॉट नं. 862, उद्योग विहार, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज - V, गुरुग्राम - 122016. दूरभाष: 0124-4640030, फैक्स: 0124-4640046, ईमेल: cs@vmart.co.in; वेबसाइट: www.vmart.co.in, CIN - L51909DL2002PLC163727

नोटिस

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (दायित्वों की सूची और प्रकटीकरण की आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पढ़े जाने वाले विनियम 29 के अनुसरण में, कंपनी के बोर्ड निदेशकों की एक बैठक का आयोजन बुधवार, 5 फरवरी 2020 को कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में किया जाना निर्धारित हुआ है, जिसमें अन्य बातों के साथ, 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त हुई तीसरी तिमाही के बिना ऑडिट वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाएगा, उनका अनुमोदन और रिकॉर्ड किया जाएगा।

विस्तृत सूचना कंपनी की वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट (www.bseindia.com व www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

कृते वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड
अधोहस्ताक्षरी मेघा टंडन (कंपनी सचिव)
सदस्यता संख्या: A35532

स्थान: गुरुग्राम
तिथि: 27-01-2020

कब्जे की सूचना

जैसे की, अधोहस्ताक्षरित, असेट रिकन्सट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सीक्युरिटायजेशन एंड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सीक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अनुसार और धारा 13(12) सपठित सीक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स 2002 के नियम 3 के तहत प्राप्त अधिकारों केतहत कर्जदारों को उनके नामों के समुख निर्देशित राशि का प्रदान संबंधित सूचना में निर्देशित लागू दरों पर ब्याज के साथ संबंधित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर प्रदान और/या वसुली की तिथि तक प्रासंगिक व्यय, मूल्य, प्रभार आदि के साथ करने हेतु निर्देश देने वाली मांग सूचना जारी की गई थी।

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	ऋणी/सह-ऋणी/ जमानतदार का नाम	मांग सूचना की दिनांक/ कुल बकाया राशि	कब्जे की दिनांक व प्रकार
1.	SHLHMERT0000141	नीतु शर्मा / रविकांत शर्मा/ नितिन सोंधी	08-08-2019 रू. 9,97,111.18	23.01.2020 सांकेतिक

सम्पार्श्विक सम्पत्ति का पता: संपत्ति के सभी अंश एवं हिस्से जो प्लॉट नं. 5, खसरा नं. 523, 524, 525, 527, 528, 529, 530, 532, 533, 534, 535, 536 , 537, 538, 540, गांव- दुल्हेरा चौहान, परगना- दौराला, तहसील- सरधना, जिला- मेरठ, उत्तरप्रदेश में स्थित जिसका क्षेत्रफल 104.75 वर्गमीटर है। सीमाएं- उत्तर: रोड़, दक्षिण: अन्य की सम्पत्ति, पूर्व- प्लॉट नं. 6, पश्चिम: प्लॉट नं. 4

उक्त वर्णित खातों को मूल ऋणदाता के द्वारा असेट रिकन्सट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड (आर्सिल) के पक्ष में बिना शर्त एवं अखंडनीय रूप से अधोहस्ताक्षरित कर दिया गया है तथापि, कर्जदार द्वारा संबंधित राशि का प्रदान करने में असफल होने के कारण यह सूचना विशेष रूप से उपरी निर्देशित कर्जदारों को तथा आम जनता को दी जाती है कि असेट रिकन्सट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड (आर्सिल) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस कानून के धारा 13(4) सपठित इस नियम के नियम 8 के तहत उन्हे प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उपरी निर्देशित जायदाद/प्रतिभूत संपत्ति का प्राधिकृत अधिकार ने उपरी निर्देशित तिथि को कब्जा प्राप्त कर लिया है, विशेष रूप से उपरी निर्देशित कर्जदारों को और आम जनता को आगाह किया जाता है कि वे इस निर्देशित जायदाद/ प्रतिभूत संपत्ति के संदर्भ में व्यवहार न करें और निर्देशित जायदाद/प्रतिभूत संपत्ति के संबंध में किया गया कोई भी व्यवहार आर्सिल के प्रभारों के अधीन होगा, कानून के धारा 13 के उपधारा (8) के प्रावधानों के तहत कर्जदारों को सूचित किया जाता है कि वे उपलब्ध समय में प्रतिभूत संपत्ति विमुक्त करें।

दिनांक: 28.01.2020
स्थान: मेरठ

हस्ताक्षर:
प्राधिकृत अधिकारी,
असेट रिकन्सट्रक्शन कंपनी (इण्डिया) लिमिटेड

Arcil **असेट रीकन्सट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड**
CIN NO:-U65999MH2002PLC134884 www.arcil.co.in
पंजिकृत कार्यालय: द रूबी, 10 वीं मंजिल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (प.), मुंबई-400028, फोन: +91 2266581300
शाखा पता: द्वितीय तल, सेठी चेम्बर्स, प्लॉट नं. 2, डी.डी.ए. लोकल शॉपिंग सेन्टर, मोर लेण्ड, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060, 011-46370444

आरएसीएल गिअरटेक लिमिटेड

सीआईएन : L34300DL1983PLC016136
पंजीकृत कार्यालय : 15वां तल, ईरोज कॉर्पोरेट टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
दूरभाष : +91-11-66155129, +91-120-4588500 | फैक्स नं. : +91-120-4588513
ई-मेल : info@raclgeartech.com वेबसाइट : www.raclgeartech.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 29 एवं 47 तता अन्य प्रयोज्य विनियम(मों) के प्रावधानों के अनुसार, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अन्य बातों के साथ-साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही हेतु कम्पनी के अलेखापरीक्षित स्टैण्डअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन के लिए आरएसीएल गिअरटेक लिमिटेड ("कम्पनी") के निदेशक मण्डल की बैठक बृहस्पतिवार, दिनांक 6 फरवरी, 2020 को आयोजित की जायेगी।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट अर्थात www.raclgeartech.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

पुनः सेबी (आन्तरिक व्यापार निषेध) विनियम, 2015 के प्रावधानों तथा इनसाइडर द्वारा ट्रेडिंग विनियमित, निगरानी तथा प्रतिवेदित करने के लिए कम्पनी की आचार संहिता के अनुसार ट्रेडिंग विंडो बुधवार, 1 जनवरी, 2020 से कम्पनी के उपर्युक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की घोषणा के 48 घण्टे बाद तक बन्द रहेगी।

कृते आरएसीएल गिअरटेक लिमिटेड
ह./-
देवराज आर्य
पूर्ण कालिक निदेशक तथा सीएफओ

स्थान : नोएडा
तिथि : 25 जनवरी, 2020

हिन्दुस्तान अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

सीआईएन : L31300DL1959PLC003141
पंजीकृत कार्यालय : कंचनजंगा, 7वीं मंजिल, 18, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001
ई-मेल : investors@hindusthan.co.in, वेबसाइट : www.hindusthanurban.com
दूरभाष नं. : +91-11-23310001

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47(1)(अ) के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही/नौमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैण्डअलोन एवं समेकित) पर विचार तथा अनुमोदन करने तथा रिकार्ड पर लेने के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक बृहस्पतिवार, 6 फरवरी, 2020 को आयोजित की जायेगी।

पुनः, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015 के अनुसार कम्पनी के शेयरों में लेन-देन हेतु ट्रेडिंग विंडो 1 जनवरी, 2020 से 8 फरवरी, 2020 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेगी।

यह सूचना बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.bseindia.com) जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.hindusthanurban.com) पर भी उपलब्ध है।

कृते हिन्दुस्तान अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
ह./-
एम.एल. बिरमीवाला
वरिष्ठ उपाध्यक्ष वित्त एवं सचिव

तिथि : 27.01.2020
स्थान : नई दिल्ली

PTC India Ltd.

PTC India

Regd. Office : 2nd Floor, NBCC Tower, 15, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066
(CIN : L40105DL1999PLC099328)
Tel: 011- 41659500, 41595100, 46484200, Fax: 011-41659144
E-mail: info@ptcindia.com, Website: www.ptcindia.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the 5th day of February 2020 inter-alia, to consider and approve the un-audited standalone and consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2019 amongst other items mentioned in the agenda.

By order of the Board
For PTC India Ltd.
Sd/-
(Rajiv Maheshwari)
Company Secretary
FCS- 4998

Place: New Delhi
Date: 27/01/2020

Note:- Futher details on the matters above said may be accessed at the link of the Company's website http://www.ptcindia.com, ('Notice to Exchanges' in Statutory Information) and Stock Exchange website i.e.NSE: www.nseindia.com and BSE: www.bseindia.com.

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड

(पूर्व में ए.यू. फाईनेन्सर्स (इण्डिया) लिमिटेड के नाम से ज्ञात) (CIN:L36911RJ1996PLC011381)
रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8 (1) कब्जा सूचना)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता **एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में एयू फाइनेंसियर्स (इण्डिया) लिमिटेड के नाम से ज्ञात)** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन [अधिनियम 2002 (2002 का 54)]'' और प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमों के नियम (3) के तहत प्रदत्त **शक्तियों** के अनुप्रयोग में मांग सूचना **01 जून 2019 ऋण खाता संख्या: LSDWM05716-170526667 (नया ऋण खाता संख्या : L9001060700746271)** निर्गमित की जिसमें मांग करते हुए ऋणी **अनिल कुमार जैन (ऋणी) श्रीमती सुनिता जैन (सह-ऋणी/ बन्धककर्ता), सचिन जैन (जमानतदार /बन्धककर्ता)** से नोटिस में वर्णित **रुपये 6916896/- (अक्षरे उनत्तर लाख सोलह हजार आठ सौ छियानवें मात्र)** की राशि इस नोटिस कि प्राप्ति कि दिनांक से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिये कहा गया था।

ऋणी/बन्धकर्ता के वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/बन्धकर्ता को तथा समान्यजन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सपठित प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त **शक्तियों** के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक **22 माह जनवरी वर्ष 2020** को अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणी/बन्धकर्ता को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार **रुपये 6916896/- (अक्षरे उनत्तर लाख सोलह हजार आठ सौ छियानवें मात्र)** की राशि **दिनांक 1 जून 2019** तक तथा आगे का ब्याज एवं कुल भुगतान होने तक की राशि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

स्थावर सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती सुनिता जैन की सम्पति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, एवं फिक्चर स्थित **सम्पत्ति नं. बी-55, तीसरा फ्लोर, छत के अधिकार सहित बाईं ओर का हिस्सा, खसरा नं. 1990, हरी नगर, दिल्ली, क्षैत्रफल 495 वर्ग फीट** पर स्थित है। जिसकी चारो सीमाएं :-

पूर्व	:	सड़क	पश्चिम	:	सम्पत्ति नं. बी-56
उत्तर	:	सम्पत्ति का भाग	दक्षिण	:	सम्पत्ति नं. बी-54

दिनांक: 22 जनवरी, 2020
स्थान : दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

सार्वजनिक सूचना

[ऋणशोध अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 12(3) के साथ पठित विनियम 31(2) के अनुसार]

परिसमापनाधीन यू.पी. इन्फ्राएस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

यू.पी. इन्फ्राएस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के सभी हितधारकों को सूचित किया जाता है कि :

(अ) हितधारकों की एक सूची माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, इलाहाबाद पीठ के सम्मुख 22.01.2020 को प्रस्तुत की गयी है। यह हितधारकों के निरीक्षण हेतु यू.पी. इन्फ्राएस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के परिसमापक श्री देविन्दर अरोड़ा के कार्यालय, 1203, विजया बिल्डिंग, 17, बाराखम्भा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 पर सभी कार्यदिवसों में 10 बजे प्रातः से 6 बजे सायं तक उपलब्ध है। यह माननीय कम्पनी विधि अधिकरण, इलाहाबाद पीठे के पास भी उपलब्ध है।

(ब) इस प्रकाशन की प्रति आईबीबीआई के पास इसकी निर्दिष्ट वेबसाइट, यदि कोई हो, पर अपलोड करने हेतु भी जमा की जायेगी।

यह यू.पी. इन्फ्राएस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के सूचनार्थ है

ह./-
देविन्दर अरोड़ा
यू.पी. इन्फ्राएस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के परिसमापक
पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-002/IP-N00200/2017-2018/10586
ई-मेल आईडी : dev_arora@hohnail.com

तिथिः 27.01.2020
स्थानः नई दिल्ली

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

शाखा:
92, भंगेल मेन मार्केट,
गौतम बुद्ध नगर, नोएडा,
उत्तर प्रदेश-201304

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ़ बड़ौदा, GEN-NEXT सैक्टर-62, नोएडा, यू.पी.** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियो के अंतर्गत ऋण धारक **1. श्री सुभाष पुत्र श्री पायमू और 2. श्रीमती गीता पत्नी श्री सुभाष निवासी : मकान-43, गढ़ी कटेरिया, अग्रौला लोनी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश-201102 और गारंटर श्री राज कुमार पुत्र श्री उम्मेद सिंह को मांग सूचना दिनांक 07.09.2019 को जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रू 37,02,455.00 (रु. सैंतीस लाख दो हजार चार सौ पच्चपन मात्र) और दिनांक 07.09.2019 से ब्याज, लागत, आकस्मिक और अन्य प्रभार** इत्यादि सहित, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

ऋणधारक राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 9 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **23.01.2020** को लिया है।

विशेष रूप से ऋण धारक तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्तियो के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **बैंक ऑफ बड़ौदा, भंगेल नोएडा के प्रभार वास्ते रू 36,98,875.36 (रु. छत्तीस लाख अट्ठान्वे हजार आठ सौ पिचहत्तर और पैसे छत्तीस मात्र) दिनांक 07.09.2019 तक और दिनांक 07.09.2019 से भविष्य का ब्याज, लागत, आकस्मिक और अन्य प्रभार** इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानो के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियो के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि बी-317, सैक्टर-1, पॉकेट-बी, वेदव्यासपुरी, मेरठ, यू.पी - 25001 में स्थित, क्षेत्रफल 175 वर्ग मी., चौहद्दी : पश्चिम मे - 25मी. उसके बाद प्लॉट नं. 285 और 286, पूरब में - 25मी उसके बाद प्लॉट नं. 318 और रास्ता 9 मी. चौडा, दक्षिण में - 7मी. उसके बाद प्लॉट नं. 282, उत्तर में - 7मी उसके बाद प्लॉट नं. 316

दिनांक : 23.01.2020, स्थान : नोएडा
प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

बिक्री सूचना

ओसिल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (परिसमापनाधीन)

परिसमापक : श्री कंवल गोयल
पंजीकृत कार्यालय : 80वाँ माइल स्टोन, जी.टी. रोड, जत्तीपुर, पानीपत, हरियाणा-132103
ई-मेल आईडी : assetsairl@aaainsolvencyjn; kanwal.goyal@aaainsolvency.com
सम्पर्क नं. : + 91 8800865284 (श्री पुनीत सचदेवा/राजकुमार)

ई-नीलामी

दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों की बिक्री

ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 24 फरवरी, 2020 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक (प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तारों के साथ)

ओसिल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (परिसमापन में) जो आदेश तिथि 17 अक्टूबर, 2019 के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, चण्डीगढ़ पीठ द्वारा नियुक्त परिसमापक के परिसमापन सम्पदा का भाग है, के स्वामित्व की आस्तियों तथा परिसम्पत्तियों की बिक्री। यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी प्लेटफार्म **https://aaa.auctiontiger.net** के द्वारा की जायेगी।

परिसम्पत्तियां	ब्लॉक	आरक्षित मूल्य (रु. में)	ईएमडी राशि (रु. में)	वृद्धि मूल्य (रु. में)
80वाँ माइल स्टोन, जी.टी. रोड, जत्तीपुर, पानीपत-132103 पर स्थित संयन्त्र एवं मशीनरी	A	8.08 करोड़	81 lakh	2 lakh
इलेक्ट्रिकल उपकरण	B	1.19 करोड़	12 लाख	1 लाख
एयर कण्डीशनर (स्प्लिट) (मात्रा 7)	C	97,000	10,000	1,000
प्लास्टिक क्रेट्स एवं पैलेट्स	D	12 लाख	1.20 लाख	10,000
जगुआर 3.0-डीजल-CH-01-AK-6366 (2011)	E	12 लाख	1.20 लाख	10,000
मर्सिडीज बेंज-डीजल-HR-60-A-3041 (2006)	F	6.60 लाख	60,000	5,000
बीएमडब्ल्यू LD - डीजल - HR-60-D-3333 (2011)	G	24 लाख	2.40 लाख	20,000
हुण्डई सैंट्रो जीएलएस-पेट्रोल-HR-60-B-8542 (2010)	H	66,000	7,000	1,000
वाहन टेम्पो- HR-67-3638 तथा हीरो होण्डा स्प्लेंडर-HR-06-F-8468	I	48,000	5,000	1,000

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं:

1. ई-नीलामी स्वीकृत सेवा प्रदाता मै. ई-प्रॉक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (Auction Tiger) के द्वारा "जैसा है जहां है" तथा "जो भी वहां है" आधार पर आयोजित होगी।
2. परिम्पत्तियों के विवरणों, ऑन-लाइन ई-नीलामी बोली प्रपत्र, उद्घोषणा, प्रतिज्ञापत्र, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियमों एवं शर्तों से शामिल सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज वेबसाईटः https://aaa.auctiontiger.net पर उपलब्ध है। सम्पर्क करेंः श्री तिलक मराठा, +91-6351896834/079-61200580 एवं 6351896834 tilak@auctiontiger.net, rikin@auctiontiger.net.\ support@auctiontiger.net. (लिंक https://aaa.auctiontiger.net पर जाकर बोलीदाता को अधोलिखित में से किसी एक i) कम्पनी का नाम (ओसिल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड), अथवा ii) (राज्य एवं सम्पत्ति का प्रकार) का उपयोग कर वर्णित कम्पनी को सर्च करना होगा।
3. अपनी बोली जमा करने से पूर्व इच्छुक बोलीदाताओं को अपने स्वयं के खर्चे पर सम्पत्ति के टाइटल, यदि कोई हो, स्थानीय करों के बकायों, बिजली एवं पानी के शुल्कों, रखरखाव शुल्कों, आदि परिसम्पत्तियों से संबंधित अपना स्वतंत्र जाँच कर स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिये। संभावित बोलीदाता श्री राजकुमार : +91-8800865284 से सम्पर्क कर पूर्व अनुमति के साथ साईट पर उपरोक्त सम्पत्तियों का निरीक्षण कर सकते हैं।
4. इच्छुक बोलीदाताओं को "ओसिल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड- परिसमापन में", खाता नं. 1013753204, कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, शाखाः जी-5-13, प्लॉट नं. 1 एवं 2, बेसमेंट बी-4, लोकल शॉपिंग सेंटर, पम्पोस एन्कलेव, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली-110048, आईएफएससी कोडः KKBK0000195 के पक्ष में देय किसी अनुसूचित बैंक के डीडी द्वारा अथवा "ओसिल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड-परिसमापन में" के पक्ष में डीडी द्वारा धरोहर राशि (ईएमडी) जमा करना होगा अथवा सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज में दिये गये रूप में प्रारूप ए अथवा प्रारूप बी में ईएमडी राशि का बैंक गारन्टी देना होगा।
5. इच्छुक बोलीदाता को 1) पहचान के प्रमाण, 2) वर्तमान पता- प्रमाण, 3) पैन कार्ड, 4) वैध ई-मेल आईडी, 5) लैंडलाइन एवं मोबाईल फोन नम्बर, 6) परिशिष्ट 1 के अनुसार शपथ-पत्र अथवा वचन, 7) परिशिष्ट II के अनुसार बोली आवेदन प्रपत्र, 8) परिशिष्ट III के अनुसार बोलीदाता द्वारा उद्घोषणा, इन परिशिष्टों का सम्पूर्ण प्रारूप ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज से लिया जा सकता है, की स्वतः सत्यापित प्रति के साथ ई-नीलामी में भागीदारी के लिये ईएमडी के साक्ष्य अथवा बैंक गारन्टी तथा भागीदारी के लिये अनुरोध पत्र जमा करना होगा। ये सभी दस्तावेज 20 फरवरी, 2020 के 7.00 बजे सायं से पूर्व नीचे दिये गये पते पर डाक या ई-मेल द्वारा परिसमापक के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिये। इच्छुक बोलीदाता को 20 फरवरी, 2020 को 5.00 बजे अप. से पूर्व https://aaa.auctiontiger.net पर ईएमडी जमा करने के विवरणों के साथ अपना केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना होगा।
6. पोर्टल (https://aaa.auctiontiger.net) पर ई-नीलामी में भाग लेने के लिये योग्य बोलीदाता के नाम की पहचान परिसमापक द्वारा की जायेगी। ई-नीलामी सेवा प्रदाता (Auction tiger) योग्य बोलीदाताओं को ई-मेल द्वारा यूजर आईडी तथा पास्वर्ड उपलब्ध कराएंगे।
7. यदि बोली ई-नीलामी की समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो समापन समय असीमित विस्तारों के साथ स्वतः आगे पांच मिनट बढ़ जायेगा। ई-नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति पर उच्चतम बोली राशि (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) प्रस्तुत करने वाले बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उन्हें इस आशय की सूचना दी जायेगी जो परिसमापक द्वारा स्वीकृति के अधीन होगा।
8. सफल बोलीदाता की ईएमडी बिक्री मूल्य के भाग के रूप में सुरक्षित रखी जाएगी तथा असफल बोलीदाता की ईएमडी वापस लौटा दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दी जाएगी। परिसमापक सफल बोलीदाता के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी करेंगे तथा सफल बोलीदाता को परिसमापक द्वारा एलओआई जारी करने के 10 दिनों के भीतर शेष राशि (सफल बोली राशि-ईएमडी) का भुगतान करना होगा। एलओआई में वर्णित समय-सीमा में सफल बोलीदाता द्वारा शेष राशि के भुगतान में चूक करने पर सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई संपूर्ण राशि (ईएमडी+अन्य कोई राशि) जब्त कर ली जाएगी।
9. सफल बोलीदाता को लागू होने वाले स्टाम्प शुल्कों/अंतरण चार्ज, शुल्क आदि तथा अन्य सभी स्थानीय करों, शुल्कों, रैट्स, गणना चार्जेज, नीलामी की संपत्ति से संबंधित शुल्कों आदि का वहन करना होगा।
10. परिसमापक को उसका कोई भी कारण बताए बिना किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या निरस्त करने अथवा ई-नीलामी को स्थगित/रद्द/निलम्बित करने तथा सम्पत्ति अथवा उसके किसी भी भाग को ईनीलामी से वापस लेने का अधिकार है।
11. सम्पूर्ण बिक्री राशि के भुगतान पर केवल सफल बोलीदाता के नाम में ही बिक्री प्रमाणपत्र/अनुबंध जारी की जाएगी तथा अन्य किसी नाम में नहीं।
12. यह बिक्री दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 तथा उसके अंतर्गत निर्मित विनियमनों के प्रावधानों के अधीन होगी।
13. यदि एक से अधिक बोलीदाता ईएमडी जमा नहीं करते हैं तो परिसमापक को हितधारकों से परामर्श कर नीलामी प्रक्रिया को रद्द करने का सम्प्रभु अधिकार होगा।
14. कम्पनी के व्यवसाय तथा प्रचालनों का ड्यू डिलिजेन्स करने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को परिसमापक के माध्यम से कार्यरत कम्पनी द्वारा स्थापित एवं प्रबंधित डैटा रूम ("डैटा रूम") में प्रवेश दी जाएगी। इच्छुक बोलीदाताओं को ई-नीलामी की तिथि तक डैटा रूम में जानकारी की एक्सेस दी जाएगी। इच्छुक बोलीदाता द्वारा डैटा रूम में एक्सेस तथा जानकारी का उपयोग समय-समय पर परिसमापक द्वारा निर्धारित की जाने वाली नियमों के अनुसार की जा सकेगी।
15. ई-नीलामी तिथि एवं समयः 24 फरवरी, 2020, 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. (5 मिनट के असीमित विस्तारों के साथ)

तिथिः 27.01.2020
स्थानः दिल्ली

हस्ता./-
कँवल गोयल
परिसमापक
ओसिल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (परिसमापन में)
IBBI पंजी. सं.: IBBI/IPA-002/IP-T00007/2016-2017/10007
पताः ई-10-ए, कैलाश कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048
ईमेल आईडीः kanwal.goyal@aaainsolvency.com;
सम्पर्क नं.: 011 46664627; +91 8800865284 (श्री पुनीत सचदेवा/राजकुमार)

www.readwhere.com